राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/07/10/10/2020

***

अंतरिम रिपोर्ट

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापको के 69000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता होने सम्बन्धी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 के सम्बन्ध में |

शिकायतों का संक्षिप्त विवरण:-

उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओ द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश सं 2056/68-4-2018 शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 01.12.2018 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में **सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019** उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापको के कुल **69000 पदों पर** भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी |

उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के सम्बन्ध में अत्यधिक अनियमितताये की गयी, जिसके परिणामस्वरुप हजारो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ पाने से वंचित हो गए तथा माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 शिखा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रिट – A No. 19737/2018 के अनुपालन में MRC लागु करने का उद्धरण देते हुए घोर अनियमितता की गयी आदि अवगत कराते हुए शिकायतकर्ताओ द्वारा कतिपय आरोप अंकित किये गए |

शिकायतकर्ताओ से प्राप्त लिखित तथ्य :-

शिकायतकर्ताओ ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69000 शिक्षकों के चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्तमान शिकायत दायर की है। उत्तर प्रदेश राज्य ने 01-12-2018 को जारी 69000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की अधिसूचना के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल 1981 के अनुसार आरक्षण को राज्य में लागू कानूनों और प्राविधानो के अनुसार चयन प्रक्रिया पर लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के लिए आवेदन पत्र भरना था, भर्ती परीक्षा 06-01-2019 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया । आवेदन पत्र में भरे गए आवेदन में उम्मीदवारों को श्रेणी के कॉलम का उल्लेख करना था चाहे वे सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित वर्ग के हों, अनुसूचित जनजाति के हों या अन्य किसी विशेष वर्ग के हों ।

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बंधित परीक्षा 06-01-2019 को आयोजित की गई और परिणाम 12-05-2020 को घोषित किया गया जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ था। एटीआरई की परिणाम शीट में उस श्रेणी का उल्लेख किया गया था जिससे उम्मीदवार सम्बंधित थे । अंकों के आवंटन की योजना के अनुसार एटीआरई के परिणाम और गुणवत्ता के अंक के निष्कर्ष के बाद वेबसाइट पर राज्य द्वारा अंतिम चयन सूची दिनांक 01-06-2020 प्रकाशित की गई ।

वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ताओ के अनुसार, राज्य में लागू आरक्षण नियमों के घोर उल्लंघन के सम्बन्ध में अंतिम चयन सूची दिनांक 01-06-2020 को प्रकाशित की गई जिसमे आरक्षित उम्मीदवारों के अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया । अंतिम चयन सूची के रूप में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवंटित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दी गई हैं और इस प्रकार आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए शिकायतकर्ताओ ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आयोग से संपर्क किया है।

सम्बद्ध नियम/प्राविधान/कानून :-

वर्तमान विवाद उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल 1981 और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 आदि से संबंधित है।

तथ्य एवं निष्कर्ष :-

उपरोक्त प्रकरण में सम्यक अभिलेखीय अवलोकन करने पर आयोग को निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए :-

1. शिकायतो के निस्तारण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओ द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण लागु करना एवं आरक्षण के लाभार्थियों के सम्बन्ध में अनियमितता बरतना दो अलग अलग पहलु है | शिकायतकर्ताओ द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण के उपर्युक्त लाभार्थी अनियमित्ताओ के चलते हुए लाभ से वंचित किये गए है | जबकि माननीय न्यायालयों में लंबित याचिकाए आरक्षण से सम्बंधित नीतिगत एवं कानूनी पहलुओ पर विचाराधीन है | इस सम्बन्ध में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कि माननीय न्यायालयों में लंबित विषय परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से आयोग के सामने न लाया जाए | आयोग के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि माननीय उच्च न्यायलय /सक्षम न्यायलय में लंबित मामलो से सम्बंधित बिंदु अथवा विषय अगर लाया गया, तब उस स्थिति में आयोग की संस्तुति निष्प्रभावी एवं शून्य होगी |
2. उपरोक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता पिछड़े वर्ग समुदाय के बड़ी संख्या में है, सामाजिक रूप से साधन संपन्न नहीं है, साधनहीन है तथा सम्बंधित सक्षम न्यायालय में जाने हेतु साधनों के अभाव में सक्षम नहीं है |
3. शिकायतकर्ताओ की यथातथ्य व्यथा यह है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशो के उपरांत भी सूची बनाते समय जो लाभार्थी हर प्रकार से लाभ पाने योग्य थे उनको सूची में स्थान न देकर अयोग्य सूची में प्रदर्शित कर दिया गया | अतेव शिकायतकर्ताओ के द्वारा पूर्ण रूप से नए बिंदु के ऊपर आयोग के समक्ष आवेदन दिए गए जोकि पोषणीय है |

4. आरक्षण का नियम यह निर्धारित करता है कि यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य उम्मीदवारों के साथ चुना जाता है, तो उस स्थिति में उसे आरक्षित रिक्तियों की ओर समायोजित नहीं किया जाएगा अर्थात उसे अनारक्षित की ओर समायोजित किया जाएगा। रिक्त पद भले ही उसके पास आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवारी हो। इसलिए, इस सिद्धांत के अनुसार, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कट-ऑफ अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा और परिणामी रिक्ति के परिणामस्वरूप आरक्षित वर्ग में परिणामी रिक्ति का उपयोग अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा। हालांकि, वर्तमान चयन में यद्यपि आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जा रहा है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न समस्त रिक्ति का लाभ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं मिल रहा है, जिससे आरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।
5. अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से, यानी 34589 पदों में से विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची में क्रमांक 1 से 34589 तक कुल सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 19805 बताई गई है। सूची के क्रमांक 1 से 34589 तक अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13007 बताई गयी है। हालांकि, वास्तव में प्राप्त आंकड़ो के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवारों में 12962 उम्मीदवार हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या, जिन्हें अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में दिखाया गया है, 18851 उम्मीदवार हैं। इसलिए, 5844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है, जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है | अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागु किया गया है।
6. इसी तरह, उत्तर प्रदेश के समस्त जिला स्तर से व शासन से विस्तृत सूची प्राप्त की गयी है, सूची में क्रमांक 34590 से 67867 तक चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 18598 है। हालांकि, वास्तव में प्राप्त आंकड़ो में उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 34590 से 67867 तक केवल 12754 ओबीसी उम्मीदवार हैं। उसी समय क्रमांक नंबर 34590 से 67867 तक चुने गए सामान्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 6843 है जो दर्शाती है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर समायोजित किया गया है।
7. चयन का बहुत आधार राज्य के अधिकारियों को स्पष्ट नहीं है। चयन की इकाई राज्य है या जिला अपने आप में संदिग्ध है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारीयों ने मयशपथ आयोग के समक्ष बयान दिया है कि चयन की इकाई जिला है। हालाँकि, राज्य के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारीयों ने इस आयोग के समक्ष मय-शपथ बयान दिया कि चयन की इकाई राज्य है। उल्लेखनीय है कि यदि चयन की इकाई राज्य है तो चयन अलग आधार पर होगा और यदि चयन की इकाई जिला है तो चयन अलग आधार पर होगा। वर्तमान

संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य में लागू अधिनियम और नियमों के अनुसार चयन की इकाई जिला है।

8. राज्य में 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले को उस जिले में रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने चयनित उम्मीदवारों की जिलावार सूची भी प्रस्तुत की है। राज्य द्वारा प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। इसी तरह से सभी जिले जिनके लिए राज्य ने सूची प्रस्तुत की है, यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है।
9. राज्य ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एंड लखनऊ के सामने हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राज्य स्तर पर सूची तैयार करके चयन प्रक्रिया में आरक्षण लागू किया गया है और उसके बाद संबंधित श्रेणी में जिले में रिक्त पदों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को जिले आवंटित किये । इसलिए, यह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का मामला है कि राज्य स्तर पर चयन सूची तैयार की गई है और उसके बाद उम्मीदवारों को उनके अंकों और श्रेणी के अनुसार जिले आवंटित किए गए हैं। राज्य की यह प्रणाली उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस नियम 1981 के विरुद्ध है, नियम 14 के अनुसार है, नियुक्ति प्राधिकरण अथार्त जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर निर्धारित सीटों की संख्या निर्धारित करेगा। यद्यपि हम राज्य की प्रणाली को सही मानते हैं, तो भी राज्य स्तर पर प्रस्तुत सूची के अनुसार आरक्षण का पालन नहीं किया गया है।
10. रिट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार, राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कटऑफ अंक 67.11 था, जबकि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था और अनुसूचित जाति के लिए यह 61.01 था। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27% होगी, यानी 18598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होंगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट-ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2637 हैं।
11. आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेह और अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है।
12. अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया । हालाँकि, जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख जिले में प्रकाशित सूची में

किया गया था। सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर और उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर जैसा कि उम्मीदवार के अंतिम राज्य स्तर की चयन सूची द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखाता है।

13. राज्य उपरोक्त परिस्थितियों में कोई भी स्पष्टीकरण दिखाने में विफल रहा है। बल्कि राज्य उपर्युक्त विसंगतियों का औचित्य साबित नहीं कर पाया है।
14. राज्य ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक सूची में आरक्षण के रोस्टर को बनाए रखने का संबंध है चयनित सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया N.I.C. के सॉफ्टवेयर द्वारा की गई थी और वे सॉफ्टवेयर में कमांडों के बारे में जानते नहीं थे । यहाँ तक कि NIC द्वारा जारी डाटा में प्रयुक्त आरक्षण अथवा अन्य नियमो की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में विभाग से पुष्टि मांगने पर असमर्थता जताई |
15. उत्तर प्रदेश सरकार आदेश संख्या 1/1/94-कार्मिक -1/1994 दिनांक 25-03-1994 उत्तर प्रदेश राज्य में लागू कानून की स्थिति बताते हुए, "यदि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का चयन किया जाता है योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में, तब उसे आरक्षित रिक्तियों की ओर समायोजित नहीं किया जाएगा अर्थात, उसे अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा, भले ही उसके पास आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की सुविधा हो । इसलिए जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जा सकता है और अनारक्षित श्रेणी में उनके चयन के परिणामस्वरूप अर्जित की गई सीटें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास जाएंगी।
16. उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18598 सीटो में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थीं, परन्तु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई हैं और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जाँच की गयी, जिसमे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आदि के उल्लंघन परिणामस्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारीयों द्वारा आरक्षण निति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंधन किये गए है तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशो की अवेहलना की गयी है, का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए सम्बंधित गैर जिम्मेदारो के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है | उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्य को संशोधित कराना चाहता है, तब उनको 15 दिवसों का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है | यदि किसी भी पक्ष द्वारा दिये गए समय में आयोग को तथ्य सहित संपर्क नही किया जाता है तब उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जायेगा तथा किसी भी पक्ष को सुनवाई का अन्य मौका न देकर, समस्त पक्षों की सहमती समझी जाएगी | उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग